अनुबंध 2ए

एजेंसी बैंक द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दावा किए गए एजेंसी कमीशन की राशि रु. ..... (रुपये**.....)** केंद्रीय/राज्य सरकारों/भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखांकन प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए सरकारी लेनदेनों की दैनिक नामावली में दर्ज किए गए अनुसार और बैंक में उपलब्ध अन्य अभिलेखों के अनुसार प्राप्तियों और पेंशन भुगतानों के संबंध में लेनदेनों की संख्या और 'पेंशन के अलावा भुगतान' के संबंध में लेनदेन की राशि को ध्यान में रखकर गणना की गई है और उपर्युक्त राशि की गणना करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र "एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान" में निर्दिष्ट पात्र मदें ही ली गयी है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन के दावों में वर्तमान दावा में एक बार ही शामिल किया गया है।

2**.** हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि केंद्र/राज्य सरकारों की ओर से सरकारी प्राप्तियों के संग्रहण को विधिवत स्क्रोल किया गया है और निधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक को विप्रेषित किया गया तथा एजेंसी कमीशन का किए जा रहे दावा की अवधि के लिए बैंक के पास स्क्रोल के लिए कोई भी लेनदेन लंबित नहीं है।

3. साथ ही**,** हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे पास उपलब्ध पात्र पेंशनरों के खाता का माहवार ब्योरा निम्नलिखित सारणी के अनुसार है और प्राप्ति लेनदेनों की संख्या जिसके लिए एजेंसी कमीशन का दावा किया गया है वह बैंक की कर देयताओं से संबंधित लेनदेनों और आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न मदों के तहत स्रोत पर कर की कटौती से से अलग है हैं ।

क्र.सं.	**माह**	**पेंशनरों की संख्या**
1		
2		
3		

हस्ताक्षर, **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम और बैंक का सील**